तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 685/2021 अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 उनवानी सुरेन्द्र आदि बनाम सरकार GCMS 2021/839	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीया लक्ष्मी देवी स्वयं उपस्थित आई। अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2021/कैम्प/1781 दिनांक 22.11.2021 का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अनुतोष है कि प्रार्थीगण ग्राम बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 के मूल निवासी है तथा प्रार्थीगण के पिता/पति का प्रचलित नाम सत्यनारायण पुत्र सुरजा नाथ है जो सही है जो सत्यनारायण के समस्त दस्तावेजात् राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है। सत्यनारायण के ओरस पिता का नाम राधेश्याम था लेकिन सत्यनारायण ग्राम बसई में अपने नाना सुरजा नाथ के गोद आ गया था। इसलिये सत्यनारायण के समस्त दस्तावेजों में उसका नाम सत्यनाराण पुत्र सुरजा नाथ दर्ज है तथा इसका निवास स्थान भी खुडानिया तहसील चिड़ावा दर्ज है जबकि निवास स्थान ग्राम बसई में रहा है। ग्राम जमालपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर क्रमशः 673, 674, 675, 676, 677, 678, 680 कुल किता 7 कुल रकबा 1.56 हेक्टेयर का प्रार्थीगण का पिता/पति संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम सत्यनारायण पुत्र सुरजा नाथ के स्थान पर सतवीर पुत्र राधेश्याम दर्ज हो गया जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम सत्यनारायण पुत्र सुरजा नाथ है जो सही है जो प्रार्थीगण के पिता/पति के समस्त दस्तावेजात् में दर्ज है तथा प्रार्थीगण के दस्तावेजात् में भी उनके पिता/पति का नाम सत्यनारायण ही दर्ज है। अतः राजस्व ग्राम जमालपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर क्रमशः 673, 674, 675, 676, 677, 678, 680 कुल किता 7 कुल रकबा 1.56 हेक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम सतबीर पुत्र राधेश्याम के स्थान पर सही नाम सत्यनारायण पुत्र सुरजा नाथ दर्ज किया जावे तथा प्रार्थीगण का निवास स्थान खुडानिया तहसील चिड़ावा के स्थान पर ग्राम बसई तहसील खेतड़ी दर्ज किये जाने की कृपा करें। प्रार्थीगण को दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये गये इसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि राजस्व ग्राम जमालपुर की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के हाल खाता संख्या 140 में दर्ज व्यक्ति सतबीर पुत्र राधेश्याम जाति जोगी निवासी खुडानिया तहसील चिड़ावा ही सत्यनारायण पुत्र सुरजा नाथ जाति जोगी निवासी बसई है। जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार दोनों की नाम भिन्न–भिन्न है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य प्रलेखीय दस्तावेजात् से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि प्रार्थीगण के पिता/पति व जमाबन्दी में दर्ज व्यक्ति दोनों एक ही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संदेह से परे साबित नहीं होना पाया जाता है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा	

SOV

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी